"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 नवम्बर 2017 — कार्तिक 11, शक 1939

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2017

बिलासपुर विकास योजना पुनर्विलोकन (प्रारूप) 2031 के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/3670/DP-9 (iv)/न.ग्रा.नि./2017. — नया रायपुर दिनांक 02–11–2017 एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बिलासपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। दिनांक 02–11–2017 से 01–12–2017 बलासपुर मे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी।

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है।

उक्त प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए।

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बधी मानचित्र तथा उसके बारे मे वृतात्मक रिपोर्ट।

(ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पश्टीकरण करने वाली मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृतात्मक रिपोर्ट।

(ग) प्रारूप विकास योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पण जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जाना है।

(घ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चो तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित कार्यो के खर्चे का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाला टिप्पण।

स्थान : रायपुर
तारीख : 02–11–2017

हस्ता./–

(संजय शुक्ला)
आयुक्त सह–संचालक.

Naya Raipur, the 2nd November 2017

Notice of Publication of Bilaspur Development Plan Revised (Draft) 2031

No./367/DP-9(iv)/N.G.N./2017. — Naya Raipur Dated 02-11-2017 Notice is hereby given that the draft of development plan for Bilaspur Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of the Collctor Bilaspur, Commissioner, Nagar Palik Nigam Bilaspur, and Joint Director, Town & Country Planning, Regional Office Bilaspur during office hours except holidays. An exhibition is also organized from 02-11-2017 at 01-12-2017 Bilaspur Copies of the draft plan (Report) will be supplied on payment at the venue of exhibition.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below-

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the above places before the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

(a) Existing land use map and narrative report.

(b) Narrative report explaining the provision of the draft development plan supported by maps and charts.

(c) Note indicating phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.

(d) Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquistion for public purposes, and the cost of works involved in the implementation plan.

Place : Raipur
Date : 02-11-2017

Sd./-

(SANJAY SHUKLA)
Commissioner Cum Director.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017